कोषागार चन्दौली
19 MAR 2020
वरिष्ठ कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FK 580144

और क्योंकि न्यासकर्ती/ संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 5100/- (रूपया पॉच हजार एक सौ मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चल-अचल सम्पत्ति न्यास में नहीं है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय प्लाट नं0 164, ग्राम- इजरा, पो0- समुदपुर जिला- चन्दौली (उ0प्र0) रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ती/ ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्दश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबध्द एवं घोषित किया जाता है।

उदय प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट :

उद्देश्य एवं नियमावली :

(A) ट्रस्ट के उद्देश्यः-

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

1. पाठशालाओं ,विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों वाचनालयों प्रयोगशालाओं चिकित्सालयों अनाथालयों वृध्दाश्रमों अनुसंधान केन्द्रो छात्रावासों कम्प्यूटर केन्द्रो निराश्रित केन्द्रों की स्थापना नामकरण विकास केन्द्रो तथा सामुदायिक विकास केन्द्रो पर्यावरण एड्स उत्थान केन्द्रो स्थापना नामकरण विकास सम्बध्द आबध्द प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवष्यक होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों संस्थाओं स्तरो शासन स्तर शासन आदि से उन्हे मान्य सम्बध्द आवध्द पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत करा सकना।

निर्मला सिंह

कोषागार चन्दौली
भारतीय गैर न्यायिक
19 MAR 2020
एक सौ रुपये
Rs. 100
वरिष्ठ कोषाधिकारी
ONE
रु. 100
HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 580145

2 .विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्याहारिक प्रायोगिक कला वाणिज्यिक वैज्ञानिक कीडा मार्शल आर्ट संगीत तकनीकी सामाजिक आधुनिक भाषा अंग्रेजी उर्दु कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

3. नागरिकों विशेष कर बालक बालिकाओं युवक युवतियों की शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक एवं स्वांगीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोंद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।

4. विभिन्न प्रतियोताओं एवम् प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन अध्यापन आवास सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।

5. विभिन्न कक्षाओं वर्गो के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना परीक्षाएँ लेना।

6. पुस्तकों साहित्य पत्रों पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन मुद्रण वितरण आदि कर सकना।

7. शिक्षा एंव शिक्षा पध्दतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।

8. सांस्कृतिक कार्यकमों पर्यावरण कार्यकम एड्स कार्यकम अधिवेशन गोष्ठियों सम्मेलन प्रतियोगिताए बैठक विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।

9. समाज कल्याण विभाग नाबार्ड कम्पार्ट परिवार कल्याण विभाग पर्यावरण मानव संसाधन मंत्रालय एड्स पर कार्य कर सकना।

10. सिलाई कढाई बुनाई स्कीन प्रिटिंग प्रिटिंग आदि की शिक्षा कर सकना।

11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय महाविद्यालय मेडिकल कालेज विधि महाविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज

निर्मला सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार चन्दौली
19 MAR 2020
वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 580146

पालिटेक्निक सी0टी0आई0 आई0टी0आई0 पुस्तकालय फार्मेसी फीजियोथेरेपी आदि संस्थानों की स्थापना संचालन विकास आवध्द लैब टेक्नीशियन सम्बध्द प्रबन्ध आदि कर सकना।

12. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयों मेडिकल कालेजों इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना समायोजित कर सकना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पुर्ति हेतु विभिन्न **राष्ट्रीय एवम् अन्तराष्ट्रीय संगठनों संस्थानों** व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
14. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार कर सकना।
15. आयुर्वेदिक औषधिया का उत्पादन करना एवं उसका उपचार कर सकना।
16. कृषि उपयोग कार्य कर सकना व उसका प्रचार –प्रसार कर सकना।
17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण को सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
18. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार– प्रसार कर सकना।
19. पुस्तक पुस्तिकाएँ पत्र–पत्रिकाएँ समाचार पत्र आदि को प्रकाशित मुद्रित सम्पादित वितरित विक्रय कर सकना।
20. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित मुल्य/शुल्क /निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
21. पत्राचार द्वारा अध्यापन/ अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकता तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाए कर सकना।
22. उपभोक्ता अधिकार प्र्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जार्गत करने **हंतु कार्य कर सकना।**

निर्मला सिंह